केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/123 दिनांक: 04.06.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00109
CICOM/R/2019/00317

अपीलकर्ता : श्री विन्देश्वरी शर्मा,
ग्राम व पो0 - गोरियारी,
भाया - सिमरी बख्तियारपुर,
जिला - सहरसा, बिहार - 852127.

निर्णय की तारीख: 04.06.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	01.04.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.04.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	28.05.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	176/03.06.2019 (13146/31.05.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 01.04.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 06.12.2018 के द्वितीय अपील से संबंधित पांच विंदुओं पर सूचनाएं मांगी मांगी गई थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा अनुरोध किया है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को नि:शुल्क वांछित सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दें ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता के दिनांक 01.04.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 23.04.2019 को ही पत्र सं. CICOM/R/2019/00317 के माध्यम से अपीलकर्ता को प्रेषित की जा चुकी है । ऐसा प्रतीत है कि श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा पेषित सूचना किसी वजह से अपीलकर्ता को प्राप्त नहीं हो सकी है, इसलिए प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुन: संलग्न है । श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अत: प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न दस रु0 का पोस्टल आर्डर सं. 41 एफ 696277 अपीलकर्ता को वापस किया जाता है ।

संलगनक - 1. श्री कृष्ण अवतार तलवार प्रदान की गई सूचना की प्रति ।
2. दस रु0 का पोस्टल आर्डर ।

राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
04 JUN 2019
D. No.
Initials

O/C

प्रतिलिपि :
1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

04/06/19